R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper - Ist Family Law
Muslim Law

न्यायिक प्रक्रिया द्वारा तलाक :-

(1) लियान :-

पत्नी इस आधार पर तलाक का दावा प्रस्तुत कर सकती है कि उसके पति ने उस पर जारकर्म का झूठा आरोप लगाया। वाद की सुनवाई के दौरान पति को दो विकल्प उपलब्ध है,- (i) विचारण की समाप्ति से पहले वह लगाया गया आरोप वापस ले सकता है: अब पत्नी को तलाक नहीं मिल सकेगा। अथवा (ii) वह अपनी बात पर अड़ा रहे: इस स्थिति में उसे शपथ पूर्वक आरोपन करना पड़ेगा। इस पर पत्नी भी निर्दोष होने की शपथ लेगी। इस प्रकार 'परस्पर आरोप-प्रत्यारोप' होने पर न्यायालय विवाह का विघटन कर देगा। पति पत्नी दोनो स्वस्थ मस्तिष्क से वयस्क होना चाहिए। आरोप झूठा होना चाहिए। पत्नी को विवाह के विघटन के लिए विधिवत वादप्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें "झूठा आरोप" लगाने को तलाक मांगने का आधार बनाना होगा। पति द्वारा आरोप लगाने मात्र से अथवा पत्नी द्वारा न्यायालय मे शिकायत दर्ज करने मात्र से कि पति ने

Scanned with CamScanner

उस पर जारकर्म का झूठा आरोप लगाया था, तलाक प्रभावी नहीं होगा। उनका विवाह सही हुआ हो, फलीभूत न रहा हो। न्यायालय द्वारा विघटन का निर्णय देने पर परिणाम अप्रतिसंहरणीय होंगे। न्यायालयों द्वारा लियान के सिद्धांत को मुस्लिम विधि की वैध प्रक्रिया की मान्यता प्रदत्त है। नूरजहाँ बीबी बनाम मोह. काजिम अली के वाद में पति द्वारा पत्नी पर मिथ्या आरोप लगाने पर न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2(ix) के अन्तर्गत विवाह के विघटन की डिक्री पारित कर दी। न्यायधीश भट्टाचार्य ने प्रतिपादित किया कि लियान का सिद्धान्त लुप्त नहीं हुआ है। यह प्रथा परंपरा पर आधारित है। पति और पत्नी दोनों शपथ लेते हैं कि जो झूठ बोलेगा उस पर खुदा का कहर बरसेगा। यदि पति द्वारा लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है तो पत्नी विघटन मांगने का आधार खो देती है, यदि पति आरोप सिद्ध करने में असफल रहता है तो पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है, साथ ही भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पति पर मानहानि का वाद ला सकती है। पत्नी पर जारकर्म का मिथ्या आरोप लगाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(viii) के अंतर्गत पत्नी पर क्रूरता का अपराध बनता है और ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 का प्रथम अपवाद खण्ड लागू नहीं होगा। लियान सम्बन्धी वाद

Scanned with CamScanner

(3)

में सबूत का भार पत्नी पर रहता है। मालिक के अनुसार यह निर्णय मुस्लिम विधि के विपरीत है, उस विधि के अनुसार पति को जारता का आरोप सिद्ध करना होता है अथवा परिणाम भुगतने होते हैं।

आरोप वापस लेना:—

पति द्वारा आरोप को वापस लेने के सम्बन्ध में न्यायालयों में परस्पर विरोधी दो मत चल रहे हैं। तुफैल अहमद व. जमीला खातून के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि मिथ्या आरोपण के आधार पर विवाह के विघटन का वाद पत्नी द्वारा प्रस्तुत करने से पहले यदि पति आरोप वापस लेता है तो पत्नी के आरोपित वाद को निरस्त करने का पर्याप्त आधार है। पति की आरोप वापस लेने की क्रिया प्रमाणिक शुद्ध मन से की हुई होना चाहिए, न कि पत्नी के वाद को असफल करने के कपटपूर्ण आशय से। उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसका लगाया आरोप झूठा था और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के विखण्डन पर उसे अपमान वचन बोलने के लिए दण्डित किया जा सकता है। किन्तु विवाह का विघटन नहीं होता। कोलकाता उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के पूरा होने के पहले किसी भी समय आरोप का विखण्डन अनुज्ञात किया। दूसरी ओर मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्णित किया था कि भारत के न्यायालयों में वापस

लेने की प्रक्रिया अश्लील में नहीं है। बाद वाले निर्णय में न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया। तुफैल वाद से काफी पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी निर्णित किया था कि 1939 के अधिनियम के निर्णत होने के बाद अधिनियम में विखण्डन का कोई प्रावधान नहीं है।

लियान पद्धति पर टिप्पणी करते हुए एक लेखक ने कहा है 'इस्लामिक विधि तथा वर्तमान कालीन व्यवस्थाओं के मध्य का अन्तर ध्यान देने योग्य है। दो भिन्न पद्धतियाँ एक विशिष्ट क्रिया को कितने भिन्न दृष्टिकोण से देखती है। लगभग सभी आधुनिक विधि व्यवस्था में जारकर्म का अप्रमाणित आरोप शून्य परिणाम कारक रहेगा, किन्तु इस्लामिक विधि में उसकी परिणति तलाक में होती है। उसके ठीक विपरीत जबकि अधिकतम विधि व्यवस्था में प्रमाणित जारकर्म का परिणाम विवाह विघटन होगा। इस्लाम में लियान विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा किन्तु मूल इस्लामिक अपराध विधि के अनुसार जारकर्म सिद्ध होने पर पत्नी मृत्युदण्ड की भागी होगी। चूँकि भारत में इस्लामिक अपराध विधि लागू नहीं होती, उसी का अंश लियान भी त्याग देना चाहिए।